



Neutral Citation No. -

2026:AHC:55616

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बीएनएसएस संख्या - 2246 वर्ष 2026

नेहा उर्फ नेहा मिश्रा

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: अवधेश सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. उपस्थित हैं।
2. यह अग्रिम जमानत याचिका आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 461/2025, धारा 108 बीएनएस, पुलिस स्टेशन-जीनपुर, जिला-आजमगढ़ के अंतर्गत दायर की गई है, जिसमें मुकदमे की सुनवाई पूरी होने तक अग्रिम जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। वे निम्नलिखित आधारों पर अग्रिम जमानत की मांग करते हैं:
 - i. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) नौ दिन की देरी से दर्ज की गई है, क्योंकि घटना 3.11.2025 की बताई जाती है और एफआईआर 12.11.2025 को दर्ज की गई थी।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



ii. एफआईआर में लगाए गए आरोपों से संकेत मिलता है कि आवेदक को झूठा फंसाया गया है, क्योंकि वह मृतक के पति के परिवार की सदस्य नहीं है।

iii. आवेदक लगभग 20 वर्ष की युवती है और प्रयागराज के हिंदी साहित्य सम्मेलन में निजी छात्रा के रूप में बी.ए. की पढ़ाई कर रही है और अपनी मां के साथ वाराणसी में रहती है।

iv. आवेदक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।

4. विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है और यह प्रस्तुत किया है कि आवेदक का नाम एफआईआर में है। मृतक को आवेदक और मृतक के परिवार के सदस्यों द्वारा क्रूरता का शिकार बनाया गया था। जांच में यह सामने आया है कि आवेदक और मृतक के पति लगातार एक-दूसरे के संपर्क में थे, जो कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड से पता चलता है। ओम प्रकाश मिश्रा, मृतक के चचेरे भाई, के बयान में उन्होंने कहा है कि आवेदक उनकी भी रिश्तेदार थी और मृतक के पति का आवेदक के साथ विवाहेतर संबंध था, जिसके कारण मृतक ने यह चरम कदम उठाया। अतः, यह तर्क दिया जाता है कि उसे कोई राहत नहीं दी जानी चाहिए।

5. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार किया है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया है।

6. प्रथम दृष्टया, ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक मृतक के परिवार की सदस्य नहीं है। जांच से पता चलता है कि आवेदक का मृतक के पति के साथ विवाहेतर संबंध हो सकता है। न्यायालय की राय में, ऐसे संबंधों को बीएनएस की धारा 45 के तहत परिभाषित उकसावा नहीं माना जा सकता है। आवेदक लगभग 20 वर्ष की युवती है और पढ़ाई कर रही है। उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। एफआईआर में ऐसा कोई आरोप नहीं है और न ही जांच के दौरान एकत्र की गई कोई ऐसी सामग्री है जिससे यह संकेत मिले कि मृतक के शरीर पर पाए गए घाव आवेदक द्वारा किए गए हमले का परिणाम थे। ऐसी परिस्थितियों में मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा करना उचित समझता हूँ।

7. आवेदक की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

8. आवेदक नेहा उर्फ नेहा मिश्रा की गिरफ्तारी की स्थिति में, उक्त मामले में अपराध में संलिप्त होने पर, उसे अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा, ब्याज की राशि के दो जमानती और व्यक्तिगत बांड

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



प्रस्तुत करने पर, जो संबंधित पुलिस स्टेशन/न्यायालय के स्टेशन हाउस ऑफिसर की संतुष्टि के अनुरूप हो, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

- i. आवेदक को आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए उपलब्ध रहना होगा;
- ii. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;
- iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
- iv. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव/धमकी नहीं देगा;

9. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय आवेदक को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर दिए गए अवलोकन केवल इस अग्रिम जमानत आवेदन पर निर्णय लेने के लिए हैं और इन्हें मामले की योग्यता पर राय नहीं माना जाना चाहिए।

18 मार्च, 2026

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

किर्ट

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"